न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 125/2022

1. चूका देवी पत्नि श्री लक्ष्मण जाति माली आयु 80 वर्ष
2. मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्मण आयु 51 वर्ष
3. देवाराम पुत्र श्री छगना आयु 52 वर्ष
4. शंकरलाल पुत्र श्री छगना आयु 60 वर्ष
5. श्योजी पुत्र श्री छगना आयु 49 वर्ष सर्व जाति माली सर्व निवासीगण ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

— प्रार्थी

बनाम

1. गजराजसिंह दत्तक पुत्र श्री नारायण जाति महाजन आयु करीबन 60 वर्ष निवासी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.। दूसरा पताः— शंकर क्लिनिक के पीछे, गांधीपार्क के पास, गांधीनगर, रूपनगढ रोड, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, किशनगढ

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 26.11.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. में स्थित है जिसके खाता संख्या 169 खसरा नम्बर 698/2 रकबा 0.6472 हैक्टेयर 4 बीघा प्रार्थीगण के सह खातेदारान गीता, शान्ति, हरजी द्वारा अपना हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हकत्याग द्वारा अपना हित त्याग कर देने के कारण प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1250/698 रकबा 5.2424 हैक्टेयर (32 बीघा 13 बिस्वा) भूमि ग्राम रलावता तहसील किशनगढ में स्थित है, पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 698 मूल ही 39 बीघा 13 बिस्वा का एक ही खसरा था जिममें से 4 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के दत्तक पिता श्री नारायणसिंह ने प्रार्थीगण के पूर्वज को बैचान कर दी थी। इस प्रकार मूल नम्बर खसरा नम्बर 698 के दो खसरा नम्बर बने है खसरा नम्बर 698/2 प्रार्थीगण के तथा 1250/698 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम [illegible] हुआ है। प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 698/2 की भूमि [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी मे कुल 4 बीघा दर्ज है तथा मौके पर भी प्रार्थीगण के कब्जे मे 4 [illegible] भूमि स्थित है किन्तु राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के समय राज[illegible] रकबा कम [illegible] कर दिया गया है अर्थात् जमाबन्दी में व मौके पर रकबा 04 बीघा है किन्तु राजस्व [illegible] रकबा कम दर्शि है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 1250/698 की भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कुल 5.2424 हैक्टेयर(32 बीघा 13 बिस्वा) दर्ज है तथा मौके पर भी अ[illegible] संख्या 1 की कुल 5.2424 हैक्टेयर(32 बीघा 13 बिस्वा) है किन्तु राजस्व नक्शे में रकबा इससे अधिक दर्शित है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 698/2 की जमाबन्दी एव राजस्व नक्शा की प्रति दिनांक 23.06.2022 को प्राप्त करने एव रकबे का नक्शे से मिलान करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Sahara
Date: 2024.12.03 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि प्रार्थीगण की भूमि से जमाबन्दी में दर्ज व मौके पर काबिजानुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज किया हुआ नही है दोनो में अन्त है। जमाबन्दी में दर्ज रकबे से कम रकबा नक्शे में दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 698/2 की भूमि का राजस्व नक्शे में इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खाते में दर्ज रकबे से मिलान नही करता है दोनो में अन्तर है राजस्व नक्शे में दर्ज रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबे एवं मौके पर काबिज स्थिति से कम है। राजस्व नक्शे में कम रकबा दर्ज हाने से प्रार्थीगण को अनेक परेशानिया उत्पन्न होगी, इसलिये राजस्व नक्शे में वर्तमान में खसरा नम्बर 698/2 व खसरा नम्बर 150/698 के इन्द्राज को राजस्व रिकार्ड जमान्दी में दर्ज रकबा व मौका स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे मे इन्द्राज दुरूस्ती हेतु श्रीमान के यहां प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण ग्राम रलावता तहसील किशनगढ में दिनांक 23.06.2022 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे की प्रति लेने पर जामबन्दी व राजस्व नक्शे में रकबा में अन्तर होने की जानकारी मिलने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की ग्राम रलावता स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 698/2 रकबा 0.6472 हैक्टेयर (32 बीघा 13 बिस्वा) का राजस्व नक्शे में वर्तमान में दर्ज गलत तरमीम इन्द्राज को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज एवं काबिजानुसार रकबा 0.6472 हैक्टेयर(4 बीघा) भूमि का इन्द्राज राजस्व नक्शे में दुरूस्त किया जाने के आदेश पारित फरमावें।

प्रकरण को दिनांक 25.07.2022 को दर्ज क्रमांक 125/2022 पर रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से दिनांक 25.08.2022 को वकील श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित होकर वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी ग्राम रलावता तहसील किशनगढ वर्तमान खसरा नम्बर 1250/698 दर्ज है। जिसमे प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में नक्शा शुद्धि करने हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा 24.11.2021 को रलावता कैम्प में आदेश पारित किया गया जिसमें नक्शे को पूर्व जमाबन्दी व नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये गये। जिसकी आज तक सक्षम न्यायालय में अपील नही की गई तथा यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया जो खारिज योग्य है। श्रीमान से निवेदन है कि जवाब कर्ता पूर्व खातेदार नारायणसिंह पुत्र राजसिंह जाति कोठारी का दत्तक पुत्र है तथा रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है, तथा खसरा संख्या 698 में 36 बीघा 13 बिस्वा भूमि है। वसीयत के अनुसार जवाबकर्ता उक्त भूमि का खातेदार है, तथा उक्त अराजी में दिनांक 10.03.1993 को तैयार किया गया विक्रय पत्र कुटरचित है जिसको जवाबकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय अर्जे खर्चे के खारिज फरमावें।

दिनांक 13.09.2023 को तहसील किशनगढ की और से जवाब पेश किया गया जिसमें तहसीलदार किशनगढ द्वारा उल्लेख किया गया कि ग्राम रलावता के नामान्तरण संख्या 496 से खसरा संख्या 698 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि का बैचान छगना व लक्ष्मण के नाम किया गया परन्तु नामान्तरण पर नजरी नक्शा अंकित नही है व नक्शा लट्ठा पर तरमीम नही है। सेग्रीकेशन से समय 698/2 की तरमीम दर्ज है लेकिन नामान्तरण पर नक्शा दर्ज नही होने से विक्रित पत्र में अंकित भूमि का सीमाओ के अनुसार तरमीम हो रखी है। खसरा नम्बर 698 की सीमाए सम्वत 2027 के नक्शे अनुसार है इसमें से खसरा नम्बर 698/2 की तरमीम से खसरा नम्बर 698/1 दर्ज हुये व खसरा नम्बर 698/1 में चाह की तरमीम से नवीन खसर नम्बर 1250/698, 1249/698 दर्ज हुये। खसरा नम्बर 698 मे से 04 बीघा भूमि बैचान में विक्रय पत्र में अंकित सीमा विस्तार में विक्रित भूमि का रकबा 04 बीघा से कम है व क्रय पत्र अनुसार सेग्रीगेशन नक्शा में खसरा नम्बर 698/2 की तरमीम होने से खसरा 698/2 व 1250/698 के रकबे में अन्तर है। प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र में दर्ज सीमा विस्तार से नक्शा मिलान कर व विक्रित भूमि का रकबा कम होने से विक्रय पत्र ... खसरा नम्बर 698/2 जमाबन्दी में दर्ज रकबे से नक्शे में दर्ज ... अन्तर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:08 IST
Reason: Self Attested

हमारे द्वारा वकील उभय पक्ष की दिनांक 11.11.2024 को अन्तिम बहस ... गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया हमारे द्वारा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया

... उक्त भूमि प्रार्थी की खरीदशुद्धा भूमि है लेकिन प्रार्थीगणो द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण में पेश नही की गई है साथ ही विवादित खसरे में से कितना रकबा कम हुआ इसका भी उल्लेख नही किया गया है, प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है लेकिन प्रार्थी अपनी प्रार्थना को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.03 14:39:08 IST
Reason: SelfAttested